

Government of Rajasthan
Pant krishi bhawan samuhik suvidha vikas samiti
Pant Krishi Bhawan, Jaipur

No: F.2 () CT/Canteen/2019-20/ 472

Date:- 22/11/19

Notice Inviting Bid No. 02/2019-20

Commissioner, Agriculture Department, Jaipur Rajasthan invites on behalf of Government of Rajasthan, offline-Bid for the Operation of Canteen at Pant Krishi Bhawan, Janpath Jaipur. Details of the important dates regarding bid are as below:-

Bid Start date	:-	25.11.2019 10:00 AM
Last date of bid submission	:-	03.12.2019 up to 01:00 PM
Opening of Technical Bid	:-	03.12.2019 at 3:30 PM
Earnest Money	:-	Rs. 10,000
UBN No.	:-	

Further Details of the Bid can be seen at the departmental website,
<https://www.agriculture.rajasthan.gov.in>. and <http://www.sppp.rajasthan.gov.in>


Caretaker
Assistant Engineer
Agriculture

राजस्थान सरकार

पंत कृषि भवन सामुहिक सुविधा विकास समिति,

कमरा संख्या 147, जयपुर।

बोली प्रपत्र

(केन्टीन हेतु बोली)

बोली प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारम्भ दिनांक : 25.11.2019 (कार्यालय समय तक)

बोली प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम दिनांक : 02.12.2019 (कार्यालय समय तक)

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय : 03.12.2019 (दोपहर 1.00 बजे तक)

बोली खोलने की दिनांक व समय : 03.12.2019 (दोपहर 3.30 बजे तक)

बोली की शर्तें

1. पंत कृषि भवन में तृतीय तल स्थित जलपान गृह संचालन हेतु आमंत्रित बोली एकस्तरीय होगी।
2. बोली एक साथ एक ही लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
3. तकनीकी बोली हेतु पात्रता:-
 - (1) बोलीदाता फर्म का संबंधित कार्य में नगर निगम/खाद्य विभाग से लाइसेंस धारक होना अनिवार्य है। लाइसेंस की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (2) निर्धारित अमानत राशि, रुपये 10000/- का बैंकर चैक/डीडी/जो कि आयुक्त कृषि, पंत कृषि भवन, जयपुर Payble at Jaipur के नाम देय हो।
 - (3) बोलीदाता फर्म को संबंधित कार्य में, भारत अथवा राज्य सरकार के राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रोपराइटरशिप फर्म/भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनी अथवा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत एक पंजीकृत साझेदार फर्म होना अनिवार्य है। पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (4) बोलीदाता फर्म को संबंधित कार्य में, राज्य सरकार के श्रम विभाग के तहत श्रम नियमों के अंतर्गत पंजीकृत फर्म होना अनिवार्य है। पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (5) बोलीदाता फर्म के पास जीएसटी एवं आयकर विभाग का पेन नम्बर होना अनिवार्य है। पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

केवल तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं की वित्तीय बोली पर विचार किया जावेगा।

4. इच्छुक बोलीदाता कार्यालय समय में पंत कृषि भवन के कमरा नं० 147 से बोली फार्म दिनांक 02.12.2019 तक प्राप्त कर सकेगा अथवा बोली फार्म विभागीय वेब साइट www.krishi.rajasthan.gov.in तथा SPPP पोर्टल, www.sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर बोली फार्म प्रस्तुत कर सकेगा।
5. बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली के ₹० सं० 4 पर दी जाने वाली न्यूनतम दर ₹० 6000/-प्रतिमाह से अधिक होनी चाहिए।
6. केन्टीन के लिये रसोई घर, रसोई स्टोर, फर्नीचर आदि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे जिसके रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जलपान गृह संचालक की होगी। साथ ही केन्टीन परिक्षेत्र में साफ-सफाई संचालक द्वारा स्वयं के स्तर पर कराई जावेगी। अनुबंध अवधि समाप्त

होने पर संचालक द्वारा विभाग को आवंटित परिक्षेत्र एवं समस्त सामान ठीक हालत में वापिस संभलवाने होंगे।

7. केन्टीन के स्थान को केवल केन्टीन के लिये प्रयुक्त किया जावेगा। इसका व्यावसायिक उपयोग किसी भी स्थिति में अन्य कार्य हेतु नहीं किया जावेगा।
8. जलपान गृह संचालक द्वारा केन्टीन में केवल व्यावसायिक एल.पी.जी.गैस का ही उपयोग किया जावेगा। अन्य किसी भी प्रकार का ईंधन उपयोग में नहीं लाया जावेगा।
9. केन्टीन सामान्यतः कार्यालय समय से आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा पश्चात् तक खुली रखनी होगी। विशेष समारोह अथवा, अवकाश के दिन अन्य आदेश होने पर यह अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ सकती है।
10. जलपान गृह संचालक को निम्न व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी :—
 - 1) खाने पीने का सामान जलपान गृह संचालक द्वारा संबंधित कार्यालयों के कमरों में माँग के अनुसार वितरित कराया जावेगा।
 - 2) केन्टीन के कर्मचारी नीली वर्दी में रहेंगे। जलपान गृह संचालक द्वारा वर्दी की व्यवस्था अपने स्तर पर की जावेगी।
 - 3) केन्टीन की कॉकरी स्वच्छ एवं सुन्दर होगी।
 - 4) केन्टीन के कर्मचारी की आयु किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
 - 5) जलपान गृह संचालक द्वारा श्रम कानून की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
 - 6) विभिन्न कर एवं श्रमिक संबंधी मामलो के लिये जलपान गृह संचालक स्वयं उत्तरदायी होगा।
 - 7) उधार की वसूली की जिम्मेदारी स्वयं जलपान गृह संचालक की होगी।
11. खाने पीने के पदार्थ को स्वच्छ व साफ स्थान पर ढक कर रखना होगा तथा मच्छर, मक्खी आदि से सुरक्षित रखना होगा।
12. जलपान गृह में माप तौल विभाग से अनुमोदित वजन मापने की मशीन, तराजू बांट आवश्यक रूप से उपलब्ध रखने होंगे।
13. आयुक्त, कृषि/केयर टेकर या उनके द्वारा मनोनीत कोई भी अधिकारी किसी भी समय पर केन्टीन का निरीक्षण कर सकते हैं।
14. ठेके की मियाद में सामान की किस्म व आकार में भिन्नता नहीं होगी।
15. चाय, नाश्ता एवं भोजन का बिल देते समय विभाग के क्रय आदेशों के क्रमांक एवं दिनांक बिल पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
16. खाने पीने की सामग्री का स्तर उच्च कोटि (एग्मार्क) का होना अनिवार्य है। यदि खाने पीने की सामग्री में किसी प्रकार की कमी, या खराबी पाई जाती है तो 500/- ₹0 का जुर्माना प्रत्येक

बार की गई गलती के लिए जलपान गृह संचालक को जमा कराना होगा। खाद्य सामग्री में मिलावट पाए जाने पर खाद्य नियमों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। खाद्य पदार्थ की पुनः शिकायत आने पर केन्टीन का ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा तथा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

17. जलपान गृह में गरम परोसे जाने वाले उत्पादों के लिये माइक्रोवेव ओवन रखना अनिवार्य होगा।
18. खाने पीने के सामान के विक्रय मूल्य की सूची उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी।
19. बाजार से लिये गये सामान को उस पर अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर किसी भी स्थिति में नहीं बेचा जायेगा।
20. जलपान गृह संचालक द्वारा निर्धारित दरों से ज्यादा वसूल किये जाने पर प्रथम बार रु. 200/- रुपये जुर्माना एवं उसके उपरांत भी ज्यादा वसूली किये जाने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
21. जलपान गृह संचालक को जलपान गृह में मांग के अनुरूप भोजन आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा। इसके लिये प्रातः 11.00 बजे तक मांग बुक की जा सकेगी एवं उसी अनुरूप भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी।
22. शिकायत पुस्तिका उपयुक्त स्थान पर रखनी होगी। शिकायत की अवस्था में आयुक्त, कृषि जयपुर का निर्णय अंतिम होगा। सभी प्रकार की शिकायतों पर निर्णय लेने एवं आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन करने का अधिकार आयुक्त, कृषि के पास सुरक्षित होगा।
23. उक्त मासिक किराया अनुबंध, अनुबंध अवधि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से संतोषप्रद सेवायें प्रदान करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार सक्षम स्तर पर अनुमोदन के उपरांत बढ़ाया जा सकता है।
24. बोलीदाता को बिजली का नियमानुसार शुल्क, विद्युत उपभोग के अनुसार, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. की दरों के अनुरूप प्रति माह जमा करवाना होगा।
25. बोली के साथ अमानत राशि रुपये 10,000/- का बैंकर चेक/डीडी आयुक्त, कृषि जयपुर के पक्ष में जमा कराना होगा।
26. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने के उपरांत एक अनुबंध जो कि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लेख करते हुये प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि के रूप में रुपये 40,000/-का बैंकर चेक/डीडी आयुक्त कृषि के पक्ष में जमा कराना होगा।
27. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जलपान गृह संचालक द्वारा प्रेषित की गयी कोई भी शर्त स्वीकार नहीं होगी।
28. आयुक्त, कृषि को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये कभी भी अनुबंध को निरस्त कर सकता है। बोली में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में

आयुक्त, कृषि का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। वाद होने की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र जयपुर होगा।

29. बोली की शर्तों/दस्तावेजों के विनिश्चय के सम्बंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर आयुक्त कृषि, के लिये निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील प्रमुख शासन सचिव कृषि को तथा द्वितीय अपील शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग की जा सकेगी।
30. उपरोक्त कोई भी शर्त विपरीत होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

31. प्रतिभूति (धरोहर) राशि से संबंधित शर्तें:-

1. सफल बोलीदाता को सात दिवस में रुपये 40,000/- धरोहर राशि जमा करवानी होगी। यह राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/प्रतिभूति निक्षेप (डाक घर बचत बैंक पासबुक, राजस्थान में किसी डाक घर द्वारा जारी किये गये अल्प बचत के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत प्रति रक्षा बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या किसी अन्य स्क्रिप्ट/विलेख के रूप में बशर्ते कि वह सुसंगत नियमों के अधीन गिरवी रखी जा सकती है)।
2. प्रतिभूति निक्षेप बोली के समय उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किये जायेंगे तथा हैड पोस्टमास्टर की स्वीकृति से बोलीयें प्रस्तुत करने से पूर्व क्रेता अधिकारी के नाम पर औपचारिक रूप से गिरवी (Pledge) रखें। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक आयुक्त, कृषि राज0 जयपुर के नाम से देय होगा।

32. निम्नलिखित मामलों में धरोहर राशि समपहत (forfeit) कर ली जायेगी:-

1. जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है।
2. जब बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर निहित किसी करार को निष्पादित नहीं करता है।
3. जब बोलीदाता कार्य आदेश देने के बाद निर्धारित समय में प्रतिभूति (धरोहर) राशि जमा नहीं करता है।

33. निम्नलिखित मामलों में प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत (forfeit) कर ली जावेगी :-

- 1 जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - 2 जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवायें संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में मुख्य नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा।

मुझे उपरोक्त सभी शर्तें मंजूर हैं इस हेतु मैंने बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर मेरी 40,000/- रुपये की धरोहर राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त कृषि को होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार
पंत कृषि भवन सामूहिक सुविधा विकास समिति,
कमरा संख्या 147, जयपुर।

वित्तीय बोली प्रपत्र

विषय:- केन्टीन व्यवस्था के लिये बोली ।

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता मय दूरभाष संख्या:-

2. किसको सम्बोधित किया गया है:- आयुक्त कृषि (मुख्य नियंत्रक) राजस्थान, जयपुर।

3. सन्दर्भ: बोली सूचना संख्या:-----

4. एनेक्स्चर-E के अनुसार समिति द्वारा तय दरों पर जलपान गृह में सामग्री उपलब्ध कराने पर बोलीदाता द्वारा समिति को जलपान गृह के किराये के रूप में भुगतान हेतु प्रस्तावित प्रति माह राशि रू0 (न्यूनतम किराया राशि रू0 6,000/- से अधिक)

----- (अक्षरे रूपये-----)

(बोलीदाता द्वारा न्यूनतम किराया राशि से अधिक राशि कॉलम 4 में भरी जानी है)

5. बोलीदाता को बिजली का नियमानुसार शुल्क, विद्युत उपभोग के अनुसार, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. की दरों के अनुरूप प्रति माह जमा करवाना होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(नाम) फर्म का पता

नोट:- बोली का वित्तीय मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा क्र0 सं0 4 पर स्वयं द्वारा भरी गयी राशि के आधार पर किया जावेगा।

परिशिष्ट-‘ई’

क्र०सं०	सामग्री का नाम	दर (राशि रुपये)
1.	चाय 100 एम.एल. मय 40 प्रतिशत दूध	5.00
2.	कॉफी-100 एम.एल. मय 75 प्रतिशत दूध	8.00
3.	दूध मीठा 200 एम.एल.	15.00
4.	समोसा 70 ग्राम	8.00
5.	कचोड़ी 70 ग्राम	8.00
6.	मिर्ची बड़ा / ब्रेड कोफ़ता 100 ग्राम मय सॉस पाउच	10.00
7.	कोफ़ता 100 ग्राम	8.00
8.	प्याज की कचोड़ी 100 ग्राम	10.00
9.	पकोडी दाल / बेसन की 100 ग्राम	10.00
10.	नमकीन 50 ग्राम	10.00
11.	गाजर हलवा 50 ग्राम मावा युक्त	20.00
12.	मावा बर्फी 50 ग्राम	18.00
13.	गुलाब जामून छोटी साइज प्रति नग	8.00
14.	गुलाब जामून बड़ी साइज प्रति नग	10.00
15.	बड़ा रसगुल्ला प्रति नग	10.00
16.	नमकीन मठरी 50 ग्राम	8.00
17.	सांभर बड़ा (100 ग्राम बड़े का वजन)	20.00
18.	लड्डू 100 ग्राम	20.00
19.	पेटीज मय सॉस	15.00
20.	चाय डिप	7.00
21.	समोसा / कचोरी, मिठाई, वेफर, केला	35.00
22.	पेस्ट्री / मिठाई, पेटीज, वेफर, केला	35.00
23.	लस्सी 200 एम.एल.	15.00
24.	कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, सरस डेयरी उत्पाद (दूध, छाछ, लस्सी, श्रीखण्ड आदि) एवं अन्य खाद्य सामग्री	अधिकतम छपे हुये मूल्य पर
25.	ग्रीन टी	10.00
26.	लेमन टी	10.00
27.	नमकीन पाउच पैकिंग में	अधिकतम छपे हुये मूल्य पर
28.	पेस्ट्री	20.00
29.	पूड़ी (150 ग्राम) साथ में सब्जी –(सेल्फ सर्विस)	25.00
30.	ज्यूस 1. मौसमी 200 एम एल 2. गाजर 200 एम एल 3. पाइन ऐपल 200 एम एल 4. आम 200 एम एल 5. मिक्स 200 एम एल	20.00 15.00 20.00 20.00 20.00
31.	वर्किंग लंच 1. चपाती-4 (200 ग्राम) 2. दाल-1 3. सिजनेबल सब्जी-1 4. रायता 5. स्वीट पीस 6. पनीर 7. आचार-1 8. सलाद 9. पापड़ 10. चावल	100.00

